संख्या– /60–1–08–1/13(9)/08

प्रेषक,

आर0एस0 वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांक:: जून,,2008

विषयः– ई0 गवर्नेस योजनान्तर्गत प्रदेश के 06 जनपदों–गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद,सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेस योजना राष्ट्रीय स्तर पर ई–गवर्नेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह योजना भारत सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्वेश्य आई0सी0टी0 का प्रयोग कर गुणवत्ता में सुधार लाना तथा सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रुप से सुलभ कराना एवं व्यवसायिक प्रयोग करना है।

2. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला को मासिक पेंशन के रुप में 300/– प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना संचालित है। ऐसी महिला, जो गरीबी की रेखा के नीचे है और उसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसके बच्चे नाबालिग हैं और यदि लड़का या लड़के का लड़का न्यूनतम 20 वर्ष की आयु का न हो अथवा यदि है तो बालिग होने के बावजूद सम्बन्धित महिला का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, अथवा नहीं करता है एवं यदि किसी निराश्रित महिला का स्वयं का मकान है तो भी वह पेंशन पाने की पात्र होगी। ई–गवर्नेस योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को भी आच्छादित किया गया है। इस योजना के

अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशनरों को कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्रों में कामन सर्विस सेन्टर एवं लोक वाणी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जायेगा। इस हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अपनाये जाने वाली प्रकिया निम्नवत् होगी :–

<u>ग्रामीण क्षेत्र आवेदन</u> :–

(1) सर्वप्रथम आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) में जाकर पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरेगा। उसमें अपनी आयु, परिवार का विवरण एवं अपना वी0पी0एल0 कमांक दर्ज करेगा।

(2) सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) का आपरेटर आवेदक के भरे हुए आवेदन पत्र को ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् उसे रसीद देगा।

(3) खण्ड विकास अधिकारी ई'–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में लाग–इन करेगा तथा आवेदन पत्र को आन–लाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जॉच हेतु निर्देशित करेगा।

(4) ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवेदन पत्रों को पंचायत की खुली बैठक में रखेगा तथा पंचायत के प्रस्ताव के साथ ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपलोड करेगा।

(5) खण्ड विकास अधिकारी संकलित रुप से सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों से आन–लाइन प्राप्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के आवेदन पत्रों को जॉचोपरान्त जिला प्रोबेशन अधिकारी को ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से आन–लाइन प्रेषित करेगा।

(6) जिला प्रोवेशन अधिकारी लाभार्थियों को ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा पेंशन की वितरण की प्रकिया का आरम्भ करेगा।

<u>नगर क्षेत्र आवेदन :–</u>

(1) आवेदक सी0एस0सी0 एवं लोक वाणी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा आन–लाइन आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेक्ट को प्रेषित करेगा, जिसमें उसकी आयु, परिवार का विवरण एवं बी0पी0एल0 कमांक भी लिखा होगा।

(2) उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लाग–इन करेगा तथा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के आवेदन पत्रों को तहसीलदार को जॉच हेतु आन–लाइन प्रेषित करेगा।

(3) तहसीलदार, कानूनगो/लेखपाल को आवेदन पत्र जॉच हेतु आन–लाइन नामित करेगा।

(4) कानूनगो/लेखपाल द्वारा जॉच कर आन–लाईन उक्त आवेदन पत्रों को तहसीलदार को भेजा जायेगा।

(5) तहसीलदार उक्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर अपनी आख्या सहित आन–लाइन उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(6) उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात् अपनी स्वीकृति अंकित करते हुए आन–लाइन उन्हें जिला प्रोवेशन अधिकारी को भेजेगा।

(7) जिला प्रोवेशन अधिकारी पेंशनरों की सूची को ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा एवं पेंशन वितरण की प्रकिया प्रारम्भ करेगा।

भवदीय,

(आर0एस0 वर्मा,)
सचिव।

संख्या–(1) /60–1–08,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी,उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अजित कुमार साहू)
संयुक्त सचिव।